नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह-'घ' पद) भर्ती नियम,1979 को, जहां तक उनका संबंध मशीन ऑपरेटर (लॉन्ड्री) और लॉन्ड्री अटेंडेंट के पदों से है, (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (बॉयलर अटेंडेंट), भर्ती नियम, 1985, और (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (लॉन्ड्री पर्यवेक्षक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर सहायक और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर सहायक और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर	19*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिकऔर अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिशियन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। **वांछनीय:** किसी बड़े संगठन कीलॉन्ड्री में बॉयलर संचालन का छह माह का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

	2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. बॉयलर सहायक	3* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/-रुपये) में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिशियन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बॉयलर संचालन में प्रमाण-पत्र । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयके चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक(प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. लॉन्ड्री पर्यवेक्षक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92300/-रुपए)	अचयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे बॉयलर सहायक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-रूपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/28/2017-एमएच II (भाग)]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 2022

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Lady Hardings Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital (Group-'D' Posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the posts of Machine Operator (Laundry) and Laundry Attendant (ii) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Boiler Attendant), Recruitment Rules, 1985 (iii) the Lady Harding Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Laundry

Supervisor) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Junior Laundry Operator **,** Boiler Assistant and Laundry Supervisor in the Lady Hardinge Medical College and **Smt. Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-**

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi, Junior Laundry Operator**,** Boiler Assistant and Laundry Supervisor , (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to **these rules.**

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. **Junior Laundry Operator**	19* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' , Non Gazetted, Non- ministerial.	Level -1 (Rs. 18000-56900) in the pay-matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note -** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed	(i) 10th class pass from a recognised board; (ii)Certificate course in Electrician from the recognised Industrial Training Institute or equivalent Institute or University. **Desirable :** Six months working experience in operating Boiler in a Laundry of a large Organisation. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh , Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Deputy Director, in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. **Boiler Assistant**	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- ministerial.	Level -4 (Rs. 25500 – 81100/-) in the pay–matrix.	Non -Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	100 % by Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Junior Laundry Operator working in the Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with eleven years of regular service in Level-1 in the pay-matrix (Rs.18000–56900/-) and having the following qualifications:- (i) 10th class pass of a recognised Board; (ii) Certificate course in Electrician of a recognised Industrial Training Institute or equivalent Institute or University ; and (iii) A Certificate in Operating Boiler from a recognised Institute or University. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Deputy Director, incharge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. **Laundry Supervisor**	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-ministerial.	Level -5 (Rs. 29,200–92300/ -) in the pay–matrix.	Non-Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Boiler Assistant working in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with five years of regular service in Level-4 in the pay-matrix (Rs. 25500 – 81100/-).	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;	Not applicable.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Deputy Director, in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration) , Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A. 11018/28/2017-MH II(pt.)]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 12, दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1958 को, जहां तक कि उनका संबंध सहायक प्रयोगशाला भंडारी के पद से है, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (प्रयोगशाला भंडारी और ज्येष्ठ कारख़ाना भंडारी) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में भंडारी श्रेणी -1 और भंडारी श्रेणी -2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताऐ आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता :- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध कराके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।